राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

नर्मदा भवन (सी ब्लॉक–द्वितीय तल) 59–अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

क्र. 9084 /NREGS-MP /NR-5/ 2008 — भोपाल, दिनांक 26 / 9 /2008

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक

जिला – गुना, अशोकनगर, दतिया, देवास, बुरहानपुर, राजगढ़, हरदा, दमोह, पन्ना, कटनी, छिंदवाड़ा, रीवा एवं अनूपपुर (म. प्र.)

विषयः– जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के लिए अनुमानित व्यय सीमा का निर्धारण बाबत्।

संदर्भः– अपर मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त का पत्र क्र.– 6754 / 22 / वि–7 / ज.स. / 07 दिनांक 24.04.07

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. के सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के संचालन के लिए एक वित्तीय वर्ष में प्रति जनपद पंचायत 5 लाख रूपए व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई। उक्त आदेश की व्यय सीमा में वर्ष 2008–09 के मीडिया प्लान अनुसार एक वित्तीय वर्ष व्यय की सीमा में संलग्न विवरण अनुसार संशोधन किया जाता है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

पृ. क्र. 9085 / NREGS-MP / NR-5. / 07 — भोपाल, दिनांक 26 / 9 / 2008

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत – गुना, अशोकनगर, दतिया, देवास, बुरहानपुर, राजगढ़, हरदा, दमोह, पन्ना, कटनी, छिंदवाड़ा, रीवा एवं अनूपपुर (म. प्र.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी उपरोक्त जिलो की समस्त जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन

हक से मांगो
अपना अधिकार

रोजगार गारंटी,
खुशहाली की
गारंटी

मीडिया प्लान

वर्ष
2008 . 09

मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

मीडिया प्लान

मीडिया प्लान का उद्देश्यः–

- योजना क्रियान्वयन के विभिन्न स्तर सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों का नियोजित स्वरूप में संचालन करना।
- राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर योजना के प्रभावी प्रचार प्रसार की व्यवस्था करना ।
- राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया के साथ प्रभावी समन्वय और संपर्क स्थापित करना।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश की सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों का क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर संचालन करना।

(अ) **सूचना संबंधी गतिविधियों** में योजना की मंशा से आमजन, योजना के हितग्राही और योजना के कार्यपालकों को सूचित करने संबंधी कार्य संचालित करना शामिल है।

(ब) **शिक्षा संबंधी गतिविधियों** में योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रियाओं, प्रावधानों और दायित्वों के संबंध में आमजन योजना के हितग्राही और योजना के कार्यपालकों को परिचित कराने संबंधी गतिविधियां संचालित की जाएगी।

(स) **संचार संबंधी गतिविधियों** में योजना संचालन के प्रभाव परिणाम और क्रियान्वयन संबंधी अद्यतन जानकारी संधारित की जाएगी।

मीडिया प्लान का संचालनः–

योजना के मीडिया प्लान के नियोजित संचालन के लिए तीन चरणों में कार्रवाई की जाना है।

राज्य स्तर सेः– राज्य स्तर से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश की सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी गतिविधियां योजनांतर्गत जिलों के समग्र स्वरूप में संचालित की जाएगी।

जिला स्तर सेः– जिला स्तर से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश की सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी गतिविधियां योजनांतर्गत जिला स्तर पर समग्र स्वरूप में संचालित की जाएगी।

जनपद स्तर सेः– जनपद स्तर से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश की सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी गतिविधियां योजनांतर्गत जनपद अंतर्गत हाट बाजार, मेले एवं अन्य प्रमुख स्थलों और ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित की जाएगी।

गतिविधि विवरण

जनपद स्तर से की जाने वाली गतिविधि

संचार के लिए जनपद स्तर से किये जाने वाले कार्य	संचार के लिए किये जाने वाले कार्य – विभिन्न स्रोत्रों से जानकारियों का संकलन, 1. योजना क्रियान्वयन की विभिन्न स्तरों (जनप्रतिनिधि स्थानीय प्रेस, प्रबुद्ध नागरिक और समाजसेवी) पर प्राप्त जानकारियों को संधारित करना। उक्तानुसार प्राप्त जानकारियों (फीडबेक) पर आधारित आवश्यक कार्य।
	2. समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की खबरें एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में प्रसारित क्षेत्र से संबंधित समाचारों का संकलन करना। उक्तानुसार प्राप्त जानकारियों (फीडबेक) पर आधारित आवश्यक कार्य।
	3. विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रमों, समारोह, मेलें और हाट बाजार आदि में योजना क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी संकलित करने के कार्य करना। उक्तानुसार प्राप्त जानकारियों (फीडबेक) पर आधारित आवश्यक कार्य।
शिक्षा के लिए जनपद स्तर से किये जाने वाले कार्य	1. जनपद पंचायत अंतर्गत पंचायत के पदाधिकारियों और क्षेत्र के प्रबुद्ध सक्रिय नागरिकों, कार्यपालकों आदि की परिचर्चाओं / कार्यशालाओं के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
	2. योजना के संबंध में पोस्टर, पेम्पलेट, लीफलेट आदि प्रचार सामग्री स्थानीय बोली में तैयार कराना।
	3. योजना के प्रमुख संदेश के स्थानीय बोली में होर्डिंग लगाना।
	4. ऑडियों–वीडियों पब्लिसिटी के कार्य करना।
	5. टेलीविजन और रेडियो माध्यम के उपयोग के कार्य करना।
	6. क्षेत्र प्रचार के कार्य करना।
सूचना के लिए जनपद स्तर से किये जाने वाले कार्य	1. जनपद अंतर्गत प्रमुख स्थलों, हाट बाजार, ग्रामीण सचिवालय और ग्राम पंचायत अंतर्गत स्थानीय बोली में सूचना संप्रेषण संबंधी गतिविधियों का समन्वय और संचालन कराना– ➢ दीवार लेखन ➢ पोस्टर चिपकाना, पर्चे बाटना और गृह–सम्पर्क कार्य आदि जनजागृति के कार्य कराना। ➢ ऑडियों पब्लिसिटी ➢ वीडियों पब्लिसिटी के कार्य करना। ➢ ग्राम सभा की बैठकों में उद्घोषणा कराना। ➢ कला पृथकदल, ➢ स्थानीय मंडलियां, ➢ लोककलाकार, ➢ नुक्कड़ नाटक, ➢ कठपुतली प्रदर्शन, ➢ प्रचार यात्राऐं/रेली, मुनादी कराने आदि के कार्य।
अन्य की जानेवाली गतिविधियां	IEC गतिविधियों के अतर्गत अन्य कार्य – इलैक्ट्रानिक, प्रिन्ट मीडिया से प्रचार प्रसार आदि के अन्य कार्य

जिला स्तर से की जाने वाली गतिविधि	
संचार के लिए जिला स्तर से किये जाने वाले कार्य	**संचार के लिए किये जाने वाले कार्य**
	1. जिले में आयोजित होने वाले विभिन्न हाट बाजारों, मेलों और विशिष्ट व्यक्तियों भ्रमण आदि अन्य अवसर पर हितग्राहियों से चर्चा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ प्रा जानकारियों को फीडबेक के रूप में संधारित किया जाऐं। फीडबेक के आधार आवश्यक प्रचारात्मक/प्रसारात्मक कार्य संचालित किए जाए।
	2. जनप्रतिनिधियों, मीडिया, समाजसेवी संस्थाओं और प्रबुद्ध नागरिकों के विचारों सुझावों को प्राप्त कर फीडबेक के रूप में संधारित किया जाएगा। फीडबेक के आधार आवश्यक प्रचारात्मक/प्रसारात्मक कार्य संचालित किए जाए।
	3. अंतर जिला स्तरीय प्रेस टूर आयोजित किया जाये।
	4. जिला स्तर पर मीडिया प्रकोष्ठ गठित कर सूचना शिक्षा और संचार संबंधी गतिविधि का संचालन और इन कार्यो के संबंध में राज्य एवं जनपद स्तर के मध्य नोडल भूमि का संचालन।
	5. जिला स्तर पर विचार गोष्ठियों, कार्यशालाओं और चर्चाओं का आयोजन किया ज जिसमें क्षेत्र के प्रबुद्ध वर्ग, जनप्रतिनिधि, पत्रकारों और कार्यपालकों को शामिल कि जाये।
सूचना के लिए जिला स्तर से किये जाने वाले कार्य	**सूचना के लिए किये जाने वाले कार्य**
	1. मोबाईल वैन द्वारा ऑडियों एवं वीडियों पब्लिसिटी की व्यवस्था करना।
	2. सूचना शिविर लगाना।
	3. होर्डिंग लगवाना।
	4. जिला स्तर पर इलैक्ट्रानिक और प्रिन्ट मीडिया के द्वारा योजना के प्रमुख पहलुओं प्रचार–प्रसार।
	5. क्षेत्र प्रचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर प्रचार प्रसार।
शिक्षा के लिए जिला स्तर से किये जाने वाले कार्य	**शिक्षा के लिए किये जाने वाले कार्य**
	1. हितग्राहियों को उनके अधिकारों और उनके कर्तव्यों के संबंध मे स्थानीय बोली जानकारी के प्रचार–प्रसार कार्यो का समन्वय करना।
	2. योजना के संचालन संबंधी व्यावहारिक समस्याओं और समाधान के विभिन्न पहलुओं पर प्रिंट मटेरियल की विषय–वस्तु का निर्माण।
	3. जिला स्तर पर प्रिंट मीडिया के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन संबंधी सफलता और व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के प्रयासों का समाचार, लेख, कहानियों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार।
	4. जिला स्तर पर संचालित केबिल आपरेटरों और प्रचार–प्रसार की विभिन्न संस्थाओं के साथ समन्वय करना। योजना की सफलता की कहानी, उपलब्धियों आदि पर आधारित जानकारी उपलब्ध कराना।

	5. जिला स्तर से योजना के मैदानी कार्यपालकों के सम्मेलन आयोजित करना, जिसमे निर्देशों के साथ ही उनकी समस्याओं का निर्धारित प्रपत्र में संकलन किया जाये।
	6. अच्छे कार्य करने वाले कार्यपालकों को पुरस्कृत और प्रशंसित करने के कार्य किए जाएगें।
राज्य स्तर पर की जाने वाली गतिविधि	
संचार के लिए राज्य स्तर से किये जाने वाले कार्य	**संचार के लिए किये जाने वाले कार्य**
	1. राज्य स्तर से योजना क्रियान्वयन के संबंध में फीडबेक संकलन किया जाए।
	2. पत्रकार भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किये जाये।
	3. स्वतंत्र मूल्यांकन
	4. अन्य विभागों के जिला/जनपद स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से सैम्पल जानकारी लेना।
	5. समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का संकलन।
	6. विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारियाँ और जिला/ जनपद स्तरीय कार्यपालक अधिकारी और मीडिया प्रकोष्ठ एवं अन्य सूत्रों के साथ चर्चा कर योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा।
शिक्षा के लिए राज्य स्तर से किये जाने वाले कार्य	**शिक्षा के लिए किये जाने वाले कार्य**
	1. राज्य स्तर से आकाशवाणी/दूरदर्शन और इलेक्ट्रानिक्स मीडिया के माध्यम से योजना के संबंध में जानकारी का प्रसारण, जिसमें लोकगीत, लोक नाटक आदि अन्य माध्यमों से योजना के बारे में जानकारी दी जाये।
	2. योजना क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर फिल्म का निर्माण किया जाना।
	3. प्रिंट मीडिया माध्यम से योजना के क्रियान्वयन संबंधी सफलताओं और व्यवहारिक समस्याओं के समाधान संबंधी लेख, समाचार, कहानी आदि के द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार।
	4. जनप्रतिनिधियों/प्रबुद्ध वर्ग/कार्यपालक और समाजसेवी संस्थाओं के साथ संवाद कायम करना। आवश्यकतानुसार कार्यशालाओं, परिचर्चा के माध्यम से योजनाओं की सीमाओं और विस्तार की जानकारी दी जाये।
	5. राज्य स्तर से छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाये, जिसमें आदर्श कार्यस्थल के चित्र प्रदर्शित किये जाये। प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित चित्र इसमें शामिल किये जाए।
	6. राज्य स्तर से होर्डिंग लगाये जाये। होर्डिंग में योजना के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियों का विवरण दिया जाएं।
	7. योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक जानकारी और क्रियान्वयन संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर सरल भाषा और प्रभावी स्वरूप में जानकारी तैयार करना।
	8. योजना के संबंध में प्रभावी जानकारी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया जाये। प्रशिक्षण का स्वरूप मास्टर ट्रेनर तैयार करना होगा।

सूचना के लिए राज्य स्तर से किये जाने वाले कार्य	सूचना के लिए किये जाने वाले कार्य
	1. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विज्ञापनों के माध्यम से योजना का प्रचार
	2. आकाशवाणी दूरदर्शन और रेडियो आदि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से देने के कार्य किये जाएंगे।
	3. जनजाग्रति कार्यो में संलग्न समाजसेवी, अशासकीय संस्थाओं, मीडिया अ नागरिकों को तथा क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रचार सामग्री उपलब्ध कराना।
	4. योजना क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर फिल्म का निर्माण।
	5. राज्य स्तर से छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना।
	6. योजना क्रियान्वयन संबंधी दिशा निर्देशों, उद्देश्यों आदि के आधार पर सूचना के विभिन्न स्वरूपों के लिए विषय वस्तु तैयार करना।
	7. योजना क्रियान्वयन के दौरान प्राप्त फीडबेक और व्यवहारिक समस्याओं के प्राप्त जानकारी के समाधान के उपायों की विषय वस्तु तैयार करना।
	8. क्षेत्र प्रचार के विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार के कार्य।
राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार	**किये जाने वाले कार्य**
	1. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए उपयोगी न्यूज कैप्सूल तैयार कराना।
	2. विभागीय मंत्री की राष्ट्रीय एवं राज्य की राजधानी स्तर पर पत्रकार वार्ताओ आयोजन।
	3. राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पत्रकारों के भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन।
	4. योजना की संदर्भ सामग्री का निर्माण।
	5. प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विज्ञापन।

वित्तीय वर्ष 2008 – 09 में जिलेवार IEC की गतिविधियों अंतर्गत व्यय की अधिकतम राशि सीमा (लाख में)

संचार के लिए किये जाने वाली गतिविधियां –	शिक्षा के लिए किये जाने वाली गतिविधियां	सूचना के लिए किये जाने वाली गतिविधियां	IEC गतिविधियों के अंतर्गत अन्य की जाने वाली गतिविधियां
संचार के लिए किये जाने वाले कार्य – विभिन्न स्रोत्रों से जानकारियों का संकलन 1. योजना क्रियान्वयन की विभिन्न स्तरों (जनप्रतिनिधि स्थानीय प्रेस, प्रबुद्ध नागरिक और समाजसेवी) पर प्राप्त जानकारियों को संधारित करना। उक्तानुसार प्राप्त जानकारियों (फीडबेक) पर आधारित आवश्यक कार्य। 2. समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की खबरें एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में प्रसारित क्षेत्र से संबंधित समाचारों का संकलन करना। उक्तानुसार प्राप्त जानकारियों (फीडबेक) पर आधारित आवश्यक कार्य। 3. विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रमों, समारोह, मेलें और हाट बाजार आदि में योजना क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी संकलित करने के कार्य करना। उक्तानुसार प्राप्त जानकारियों (फीडबेक) पर आधारित आवश्यक कार्य।	शिक्षा के लिए किये जाने वाले कार्य – 1. जनपद पंचायत अंतर्गत पंचायत के पदाधिकारियों और क्षेत्र के प्रवुद्ध सक्रिय नागरिकों, कार्यपालकों आदि की परिचर्चाओं / कार्यशालाओं के कार्यक्रम आयोजित किए जाऐं। 2. योजना के संबंध में पोस्टर, पेम्पलेंट, लीफलेट आदि प्रचार सामग्री स्थानीय बोली में तैयार कराना। 3. योजना के प्रमुख संदेश के स्थानीय बोली में होर्डिंग लगाना। 4. ऑडियों–वीडियों पब्लिसिटी के कार्य करना। 5. टेलीविजन और रेडियो माध्यम के उपयोग के कार्य करना। 6. क्षेत्र प्रचार के कार्य करना।	सूचना के लिए किये जाने वाले कार्य 1. जनपद अंतर्गत प्रमुख स्थलों, हाट बाजार, ग्रामीण सचिवालय और ग्राम पंचायत अंतर्गत स्थानीय बोली में सूचना संप्रेषण संबंधी गतिविधियों का समन्वय और संचालन कराना– दीवार लेखन पोस्टर चिपकाना, पर्चे बाटना और गृह–सम्पर्क कार्य आदि जनजागृति के कार्य कराना। ऑडियों पब्लिसिटी ग्राम सभा की बैठकों में उद्घोषणा कराना। कला पृथकदल, स्थानीय मंडलियां, लोककलाकार, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली प्रदर्शन, प्रचार यात्राऐं / रेली, मुनादी कराने आदि के कार्य	IEC गतिविधियों के अंतर्गत अन्य कार्य – इलैक्ट्रानिक, प्रिन्ट मीडिया से प्रचार प्रसार आदि के अन्य कार्य

		पंचायत संख्या	[illegible] जनपद IEC का [illegible] गतिविधियों के लिए वित्तीय वर्ष में [illegible] अधिकतम राशि [illegible] (लाख में)				जिले अंतर्गत जनपदों में IEC हेतु कुल राशि की अधिकतम सीमा (लाख में)	जिलें के लिए IEC कार्यों पर व्यय की राशि (लाख में)	कुल व्यय अधिकतम सीमा (लाख में)
			संचार के लिए किये जाने वाले कार्य –	शिक्षा के लिए किये जाने वाले कार्य –	सूचना के लिए किये जाने वाले कार्य	IEC गतिविधियों के अंतर्गत अन्य कार्य –			
				प्रथम चरण के 18 जिलें					
1	बालाघाट	10	1.4	1.4	1.4	0.75	49.5	9.9	59.4
2	बड़वानी	7	1.4	1.4	1.4	0.75	34.65	6.93	41.58
3	बैतूल	10	1.4	1.4	1.4	0.75	49.5	9.9	59.4
4	छतरपुर	8	1.4	1.4	1.4	0.75	39.6	7.92	47.52
5	धार	13	1.4	1.4	1.4	0.75	64.35	12.87	77.22
6	डिण्डौरी	7	1.4	1.4	1.4	0.75	34.65	6.93	41.58
7	झाबुआ	12	1.4	1.4	1.4	0.75	59.4	11.88	71.28
8	खंडवा	7	1.4	1.4	1.4	0.75	34.65	6.93	41.58
9	खरगौन	9	1.4	1.4	1.4	0.75	44.55	8.91	53.46
10	मंडला	9	1.4	1.4	1.4	0.75	44.55	8.91	53.46
11	सतना	8	1.4	1.4	1.4	0.75	39.6	7.92	47.52
12	सिवनी	8	1.4	1.4	1.4	0.75	39.6	7.92	47.52
13	शहडोल	5	1.4	1.4	1.4	0.75	24.75	4.95	29.7
14	श्योपुर	3	1.4	1.4	1.4	0.75	14.85	2.97	17.82
15	शिवपुरी	8	1.4	1.4	1.4	0.75	39.6	7.92	47.52
16	सीधी	8	1.4	1.4	1.4	0.75	39.6	7.92	47.52
17	टीकमगढ़	6	1.4	1.4	1.4	0.75	29.7	5.94	35.64
18	उमरिया	3	1.4	1.4	1.4	0.75	14.85	2.97	17.82
	योग	141	197.4	197.4	197.4	105.75	697.95	139.59	837.54

क्र.	जिले का नाम	जनपद पंचायत संख्या	प्रति जनपद IEC की [illegible] गतिविधियों के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की अधिकतम राशि [illegible] (लाख में)				जिले अंतर्गत जनपदों में IEC हेतु कुल राशि की अधिकतम सीमा (लाख में)	जिले के लिए IEC कार्यों पर व्यय की राशि (लाख में)	कुल व्यय अधिकतम सीमा (लाख में)
			संचार के लिए किये जाने वाले कार्य –	शिक्षा के लिए किये जाने वाले कार्य –	सूचना के लिए किये जाने वाले कार्य	IEC गतिविधियों के अंतर्गत अन्य कार्य –			
					द्वितीय चरण के 13 जिलें				
19	गुना	5	0.9	0.9	0.9	0.5	16	3.2	19.2
20	अशोकनगर	4	0.9	0.9	0.9	0.5	12.8	2.56	15.36
21	दतिया	3	0.9	0.9	0.9	0.5	9.6	1.92	11.52
22	देवास	6	0.9	0.9	0.9	0.5	19.2	3.84	23.04
23	बुरहानपुर	2	0.9	0.9	0.9	0.5	6.4	1.28	7.68
24	राजगढ़	6	0.9	0.9	0.9	0.5	19.2	3.84	23.04
25	हरदा	3	0.9	0.9	0.9	0.5	9.6	1.92	11.52
26	दमोह	7	0.9	0.9	0.9	0.5	22.4	4.48	26.88
27	पन्ना	5	0.9	0.9	0.9	0.5	16	3.2	19.2
28	कटनी	6	0.9	0.9	0.9	0.5	19.2	3.84	23.04
29	छिंदवाड़ा	11	0.9	0.9	0.9	0.5	35.2	7.04	42.24
30	रीवा	9	0.9	0.9	0.9	0.5	28.8	5.76	34.56
31	अनूपपुर	4	0.9	0.9	0.9	0.5	12.8	2.56	15.36
		71	63.9	63.9	63.9	35.5	227.2	45.44	272.64

		संख्या	(लाख में)				IEC हेतु कुल राशि की अधिकतम सीमा (लाख में)	... के लिए ... कार्यो पर व्यय की राशि (लाख में)	कुल व्यय अधिकतम सीमा (लाख में)
			संचार के लिए किये जाने वाले कार्य –	शिक्षा के लिए किये जाने वाले कार्य –	सूचना के लिए किये जाने वाले कार्य	IEC गतिविधियों के अंतर्गत अन्य कार्य –			
					तृतीय चरण के 17 जिलें				
32	मुरैना	7	0.45	0.45	0.45	0.25	11.2	2.24	13.44
33	भिण्ड	6	0.45	0.45	0.45	0.25	9.6	1.92	11.52
34	ग्वालियर	4	0.45	0.45	0.45	0.25	6.4	1.28	7.68
35	सागर	11	0.45	0.45	0.45	0.25	17.6	3.52	21.12
36	नीमच	3	0.45	0.45	0.45	0.25	4.8	0.96	5.76
37	मंदसौर	5	0.45	0.45	0.45	0.25	8	1.6	9.6
38	रतलाम	6	0.45	0.45	0.45	0.25	9.6	1.92	11.52
39	उज्जैन	6	0.45	0.45	0.45	0.25	9.6	1.92	11.52
40	शाजापुर	8	0.45	0.45	0.45	0.25	12.8	2.56	15.36
41	इंदौर	4	0.45	0.45	0.45	0.25	6.4	1.28	7.68
42	विदिशा	7	0.45	0.45	0.45	0.25	11.2	2.24	13.44
43	भोपाल	2	0.45	0.45	0.45	0.25	3.2	0.64	3.84
44	सीहोर	5	0.45	0.45	0.45	0.25	8	1.6	9.6
45	रायसेन	7	0.45	0.45	0.45	0.25	11.2	2.24	13.44
46	होशंगाबाद	7	0.45	0.45	0.45	0.25	11.2	2.24	13.44
47	जबलपुर	7	0.45	0.45	0.45	0.25	11.2	2.24	13.44
48	नरसिंहपुर	6	0.45	0.45	0.45	0.25	9.6	1.92	11.52
		101	45.45	45.45	45.45	25.25	161.6	32.32	193.92
	महायोग	313	306.75	306.75	306.75	166.5	1086.75	217.35	1304.1